संख्या : ई 11025/5/2010-रा.भा.-2
दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक- 21 अप्रैल, 2011

## विज्ञापन

दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, विधीक्षा, टंकण एवं मिलान कार्य के लिए भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक, जो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में दक्ष हों, से इस कार्य के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं। कृपया निम्नलिखित प्रारूप में अपनी दरें अवर सचिव (टी), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली को विज्ञापन जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराएं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुवाद प्रति हजार शब्द | - | रू0 |
| 2. | विधीक्षा (वैटिंग) प्रति हजार शब्द | - | रू0 |
| 3. | टंकण एवं मिलान प्रति हजार शब्द | - | रू0 |

कुल ---------------------------------

(दया पंत)
उप निदेशक (राजभाषा)

## निबंधन एवं शर्तें

1. न्यूनतम दरें उद्धृत करने वाली फर्म की अनुमोदित दरों के आधार पर उन्हें सौंपे जाने वाले कार्य का दिए गए समय के भीतर कार्य निष्पादित करवा कर इस विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को सौंपा जाना अनिवार्य होगा।

2. इस प्रकार के कार्यों के अनुवाद, विधीक्षा एवं टंकण तथा त्रुटियों को सुधारने के उपरांत एक मुश्त अथवा समय-समय पर निर्धारित अवधि के दौरान उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता भी हो सकती है।

3. अनुवाद को हिंदी यूनिकोड फांट में उपलब्ध कराया जाना है और सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक विशेषज्ञ, अनुभवी तथा सरकारी शब्दावली से सुपरिचित होने चाहिए।

4. अनूदित सामग्री को अंतिम रूप से निष्पादनोपरांत भली भांति जांच लिया जाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। फिर भी यदि विभाग के स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि/त्रुटियां पायी जाती हैं तो उन्हें भी बगैर किसी अतिरिक्त व्यय के सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक द्वारा ठीक करवा कर देना होगा।

5. ऐसा न किए जाने अथवा लगातार घटिया तथा अशुद्ध अनुवाद दिए जाने पर अनुमोदित सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक को सूची से हटाया जा सकता है।

6. निष्पादित कार्य की हार्ड व सॉफ्ट कापी भी उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक अपनी सीलबंद निविदाएं अवर सचिव (टी), कमरा नंबर-511, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली को भेज सकते हैं जिसमें उनके कार्य-अनुभव का ब्यौरा भी भेजा जाना चाहिए। निविदा के साथ 4000/-रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डी.डी.ओ. डीओटी, नई दिल्ली के नाम से लगा हो। असफल सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक के डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिए जाएंगे। निविदाएं कमरा सं. 511, संचार भवन, नई दिल्ली में तालाबंद बॉक्स में डाली जानी चाहिए तथा लिफाफे पर "अनुवादकों की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए। सेवानिवृत्त अधिकारी/अनुवादक को हाल में अपने द्वारा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में किए गए अनुवादों के नमूने संलग्न करने चाहिए। जिन संगठनों के लिए उन्होंने कार्य किया है अथवा इस समय कार्य कर रहे हैं उनका ब्यौरा भी लिखना चाहिए। दूरसंचार विभाग के पास बगैर कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत करने तथा अनुवाद की संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।